कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बीजापुर वनमंडल, बीजापुर
जिला–बीजापुर (छत्तीसगढ़)

Phone No. 07853 - 220236	Fax No. 07853 - 220236	E-mail - dfo_divisionbijapur@yahoo.in

क्रमांक /सं.व.प्र/व.वि.अ/ 98573 बीजापुर, दिनांक 30/12/20

रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बीजापुर जिला बीजापुर (छ.ग.) के द्वारा प्रति एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स आदि द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों **''एग्रीकल्चर/वानिकी सेक्टर में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु''** रूचि अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। इच्छुक एजेंसी/संस्था/सोसायटी/फर्म्स अधिक जानकारी कार्यालय वनमण्डल अधिकारी बीजापुर से संपर्क करें। विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं.	प्रशिक्षण का विषय वस्तु	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
01	Mushroom Cultivation	600
02	Vermiculture and Vermicomposting	600
03	Organic Grower	600
	योग–	**1800**

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि :– 16.01.2018 अपरान्ह 11 बजे तक
रूचि की अभिव्यक्ति खोलने एवं प्रदर्शन की तिथि :– 16.01.2018 अपरान्ह 4 बजे

रूचि अभिव्यक्ति से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्ते निविदा फार्म के साथ कार्यालय से की जा सकती है एवं निर्माण के संबंध में अन्य आवश्यक विशेष नियम व शर्तो की जान वेबसाईट www.bijapur.gov.in पर देखा जा सकता है।

वनमण्डलाधिकारी,
बीजापुर वनमण्डल, बीजापु

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, बीजापुर

जिला– बीजापुर (छत्तीसगढ़)

Phone - 07853-220236, Fax – 07853-220236, E-Mail- dfo_bijapur@yahoo.com

क्रमांक / स.व.प्र. / व.वि.अ. / 9953 बीजापुर, दिनांक / 30 / 12 / 2017

प्रति,

जनसंपर्क कार्यालय
जिला– बीजापुर (छ.ग.)

विषय :– रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना प्रकाशन बाबत्।

---=::00::=---

विषयान्तर्गत लेख है कि, वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, बीजापुर के अंतग रूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना दिनांक **16.01.2018** तक आंमत्रित किया जाना निर्धारित है।

अतः रूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना की 5 प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृप दिनांक– 01.01.2018 के पूर्व प्रदेश स्तरीय दो तथा स्थानीय स्तर के एक बहु प्रसारित समाचार प में विज्ञापन एक बार प्रकाशित करवाने का कष्ट करें तथा समाचार पत्रों के सम्पादकों को समाच पत्र की एक–एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु लेख करने का कष्ट करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
बीजापुर वनमण्डल, बीजापुर

पृ. क्रमांक / स.व.प्र. / व.वि.अ. / 9854 बीजापुर, दिनांक / 30 / 12 / 2
प्रतिलिपि :–

1. मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर, वृत्त जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
बीजापुर वनमण्डल, बीजापु

d:\hira store new 2017-18\tender forest bjp. 13-06\letter.docx

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल बीजापुर
जिला– बीजापुर (छ0ग0)
ई–मेल– dfo_bijapur@yahoo.com फोन नं. –7853-22236

क्रं./ .... दिनांक ....

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बीजापुर, जिला बीजापुर (छ0ग0) अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में एग्रीकल्चर/वानिकी सेक्टर अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण का संचालन करने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बीजापुर, जिला बीजापुर (छ0ग0), प्रतिष्ठित एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स आदि द्वारा बीजापुर जिले की कुल 12 ग्राम पंचायत में **"एग्रीकल्चर/वानिकी सेक्टर में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु" रूचि की अभिव्यक्ति** आमंत्रित करता है।

प्रशिक्षण कार्य अंतर्गत चयनित हितग्राहियों को एग्रीकल्चर/वानिकी सेक्टर अंतर्गत तोयनार, मोरमेड, पेदाकोड़ेपाल, फरसेगढ़, जांगला, केतुलनार, चिंताकुंटा, ईलमिड़ी, मुरकीनार, पामगल, चेरपल्ली एवं केसाईगुड़ा कुल 12 ग्राम (प्रत्येक ग्राम में कुल 50 प्रशिक्षणार्थी) में नवीन तकनीकों का उपयोग कर गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण प्रदाय किया जाना है। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक पाठ्य एवं अन्य सामग्री संबंधित संस्था के द्वारा प्रदाय किया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु निर्देश एवं पाठ्य सामग्री का माध्यम हिन्दी होना चाहिए। प्रशिक्षण संबंधी विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं.	प्रशिक्षण का विषय वस्तु	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अवधि (घण्टो में)
01	Mushroom Cultivation	600	90
02	Vermiculture and Vermicomposting	600	90
03	Organic Grower	600	200
	योग–	**1800**	

प्रस्ताव जमा करने हेतु नियम एवं शर्तें:–

1. एजेंसी / संस्था / सोसायटी / प्रशिक्षण संस्थान / फर्म्स को बंद लिफाफा में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
2. एजेंसी / संस्था / सोसायटी / प्रशिक्षण संस्थान / फर्म्स के द्वारा प्रस्ताव एवं वित्तीय दर अलग–अलग बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।
3. लिफाफा "अ" में प्रस्ताव एवं लिफाफा "ब" में वित्तीय दर प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा "अ" और "ब" को बंदकर लिफाफा "स" में प्रस्तुत करना होगा।
4. एजेंसी / संस्था / सोसायटी / प्रशिक्षण संस्थान / फर्म्स पंजीकृत इकाई होनी चाहिए। (आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।)
5. प्रशिक्षणार्थियों के मोबीलाईजेशन की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी / संस्था / सोसायटी / प्रशिक्षण संस्थान / फर्म्स की होगी।
6. प्रशिक्षण का संचालन चयनित ग्राम में ही किया जाना अनिवार्य है।
7. एग्रीकल्चर / वानिकी सेक्टर अंतर्गत प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एजेंसी / संस्था / सोसायटी / प्रशिक्षण संस्थान / फर्म्स के पास निर्धारित औजार / उपकरण, जिनका उपयोग प्रशिक्षण के दौरान किया जावेगा, होना अनिवार्य है।
8. एजेंसी / संस्था / सोसायटी / प्रशिक्षण संस्थान / फर्म्स के पास PAN/TIN/CGGST/CS पंजीकरण संख्या होना चाहिए।
9. सभी कर सम्मिलित कर के प्रति प्रशिक्षणार्थी आधारित दर प्रस्तुत करना होगा, प्रस्ता में उल्लेखित दर के अतिरिक्त परिवहन या अन्य कोई स्वत्व देय नहीं होगा।
10. एजेंसी / संस्था / सोसायटी / प्रशिक्षण संस्थान / फर्म्स के द्वारा प्रस्तुत दर को गठि समिति के द्वारा नेगोशिएसन किया जा सकेगा।
11. एजेंसी / संस्था / सोसायटी / प्रशिक्षण संस्थान / फर्म्स के द्वारा एग्रीकल्चर / वानि सेक्टर में दिनांक 01 जनवरी 2018 से विज्ञप्ति दिनांक तक न्यूनतम 10 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने हेतु कार्यादेश होना चाहिए ऐसे ही संस्था को प माना जाएगा एवं प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा।

12. प्रपत्र प्राप्त करने हेतु राशि 1000रू. नगद भुगतान कर अथवा वन मण्डल अधिकारी बीजापुर वनमण्डल बीजापुर के नाम से डी0डी0 प्रदाय कर प्राप्त किया जा सकता है।

13. प्रस्ताव जमा करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 16.01.2018 अपरान्ह 11 बजे तक है।

14. दिनांक 16.01.2018 अपरान्ह 4 बजे प्रस्ताव लिफाफे गठित समिति के समक्ष खोली जाएगी जिसमें संस्था स्वंय/प्रतिनिध उपस्थित रह सकते हैं।

15. चयन प्रक्रिया की किसी भी स्तर पर प्रस्ताव को किसी भी कारण से स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कार्यालय बीजापुर को होगा।

16. किसी भी विवाद की स्थिति में वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कार्यालय बीजापुर का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बंधनकारी होगा।

17. एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स जिन्हे बस्तर संभाग में कार्य करने का अनुभव है उन्हीं को प्राथमिकता दी जायेगी।

18. एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स को भुगतान प्रशिक्षण कार्य के मध्य, आधा एवं बचत भूगतान सफल प्रशिक्षण उपरांत किया जायेगा।

19. एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स, जिन्हें जिम्मेदारी दी जायेगी उन्हें योग्य हितग्राहियों के चयन में सहयोग प्रदान करना होगा।

20. प्रशिक्षण संपन्न उपरांत प्रशिक्षित हितग्राहियों को स्वयं के व्यवसाय स्थापित करने में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाना होगा।

21. एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स, जिन्हे प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी जायेगी उनके पास प्रशिक्षण देने का अनुभव एवं योग्य प्रशिक्षक होनां अनिवार्य है।

22. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण गुणवत्ता में कमी पर करार निरस्त किया जा सकता है।

एजेंसी / संस्था / सोसायटी / प्रशिक्षण संस्थान / फर्म्स अपनी रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना विस्तृत प्रस्ताव, पूर्व अनुभव के दस्तावेज, प्रशिक्षकों की जानकारी, विस्तृत क्रियान्वयन योजना आदि स्पीड / रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्वंय उपस्थित होकर दिनांक 16.../01./ 2018 तक वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल कार्यालय बीजापुर वनमण्डल, बीजापुर, जिला बीजापुर पिन– 494444 में जमा कर सकते हैं। लिफाफे में "कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बीजापुर, जिला बीजापुर अंतर्गत विभिन्न ग्राम में एग्रीकल्चर / वानिकी सेक्टर अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव" उल्लेख होना आवश्यक है।

वनमण्डलाधिकारी
बीजापुर वनमण्डल, बीजापुर